

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- करतार सिंह पूनियो आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2012/00222 (15/2012) 75 एलआरएक्ट

1. कालासिंह पुत्र श्री ठाकरसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. लाभसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सूबासिंह पुत्र श्री गुंलाबसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।
3. बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहनसिंह जाति कम्बोजसिंह निवासी फतेहपुर तहसल संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेण्ट

(2) 2017/00097 (50/2017) 75 एलआरएक्ट

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया —अपीलाण्ट

बनाम

1. सूबासिंह पुत्र श्री गुंलाबसिंह जाति रायसिख निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जयमलसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति रायसिख साकिन फतेहपुर तहसील संगरिया
3. किशन सिंह पुत्र ठाकरसिंह साकिन संगरिया तहसील संगरिया।
4. दयालसिंह पुत्र ठाकरसिंह साकिन संगरिया तहसील संगरिया।
5. प्रताप सिंह पुत्र कालासिंह साकिन संगरिया

— रेस्पोंडेण्ट



Caro

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरुद्ध आदेश 15.04.2011 प्र सं0 4/2011
प्रा0 पत्र सूबासिंह पुत्र गुंलाबसिंह जाति रायसिख सा0 फतेहपुर
द्वारा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया

उपस्थित:-

श्री अशोक कुमार छोडा अधिवक्ता अपीलाण्ट अपील सं0 2012/00222

श्री रविन्द्र भोबिया अधिवक्ता अपीलाण्ट अपील सं0 2017/00097

श्री बहादुर राम स्वामी अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट सं0 1

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट सं0 3

निर्णय

दिनांक:- 28-5-20

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष प्रार्थी सूबासिंह पुत्र गुंलाबसिंह के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें जिसमें चक 20 एफटीपी में प. नं. 163/250 (9) किला नं. 10, 11, 20 कुल 0.759 है0 भूमि कस्टोडियन विभाग की भूमि मूल आवंटी से खरीद करना बताते हुए उसका उसका नियमन करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त करते हुए प्रकरण को आवंटन सलाहकार कमेटी की बैठक में रखा एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.04.2011 द्वारा प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण का नियमन कर भूमि क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर उक्त दो अपीलें ने यह अपील पेश की है। दोनों अपीलों में एक ही भूमि एवं एक ही आदेश के विरुद्ध होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग अलग रखी जावे।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपील सं0 2012/00222 में अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये तथा बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट जो प्रश्नगत भूमि रिकार्डर्ड सहकाशतकार है के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के वपरीत है। प्रश्नगत भूमि स्व0 ठाकरदास पुत्र सावनसिंह की

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गैरखातेदारी भूमि थी जो विरास्तन अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट को संयुक्त रूप से मिली हुई थी। साझे खाते की भूमि में प्रत्येक सहकाशतकार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा काशत होता है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत इकरानामा दिनांक 28.06.1991 कतई फर्जी एवं नुमाईशी है तथा इस भूमि पर रेस्पोडेण्ट सं० 1 का कब्जा काशत नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकतरफा की गई है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट रिकार्डड सहकाशतकार एवं काबिज व्यक्ति होने तथा प्रश्नगत भूमि में अपीलांट का संयुक्त रूप से हक व हिस्सा होने के कारण अपीलांट पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार है इसलिए बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील पेश है। अपीलांट पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

4. अपील संख्या 2017/00097 में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपंजीकृत इकरानामा के आधार पर पारित किया गया है। मूल आवंटन आदेश पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित नहीं होती कि भूमि उसे आवंटित की गई थी। मूल आवंटनी से कोई बकाया राशि थी अथवा नहीं इसकी कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। प्रश्नगत भूमि पर कालासिंह का कब्जा काशत है अथवा नहीं यह साबित नहीं किया गया है। मूल आवंटनी अथवा उसके वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाया गया। उनकी सहमती भी नहीं ली गई। अपील माननीय जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 04.01.2017 के प्राप्त होने के उपरान्त बिना किसी देरी के पेश कर दी गई है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।
5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो० ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट कालासिंह ने मिथ्या कथन किये हैं। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी रही है। अपीलांट ने दिनांक 05 मार्च 2012 को जानकारी होना बताया है तो उपखण्ड अधिकारी के यहां दावा पेश था तब जानकारी होनी चाहिए थी। सन 2012 में भूमि खातेदारी की है तब जानकारी थी। इकरानामा की समस्त शर्तों की पालना की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार कमेटी के समक्ष प्रकरण को रखा। आवंटन सलाहकार कमेटी ने खातेदारी प्रदान करने की सिफारिश की है। कमेटी में

Lano

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तहसीलदार भी पक्षकार था। समस्त प्रक्रियाओं का पालन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। दानों अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी थी। मूल आवंटी ने कोई आपत्ति नहीं की है। आवंटन की समस्त राशी जमा करवाई गई है। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेण्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि उसके सूबासिंह से खरीद कर ली है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणागुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाते हैं। दोनों अपीलें अंदर मियाद शुमार की जाती हैं।
9. रेस्पोजेण्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज होने के कारण तथा प्रकरण के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण इन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।
10. जहां तक गुणागुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने चके 20 एफटीपी में प. नं. 163/25 की कुल 0.759 है० भूमि कस्टोडियन विभाग की भूमि रेस्पोजेण्ट द्वारा मूल आवंटी से खरीद करना मानते हुए प्रश्नगत जरिये इकरारनामा खरीद होना मानते हस्तान्तरण का नियमन किया जाकर क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति दी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्वयं तहसीदार की रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार भूमि पर क्रेता का कब्जा साबित है तथा बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है। नियमन राशि जरिये चाला सं० 4 दिनांक 11.04.2011 जमा करवाई गई है तथा प्रश्नगत नियमन आदेश आवंटन सलाहकार कमेटी के सिफारिश के आधार पर किया गया है। आवंटन सलाहकार कमेटी में स्वयं तहसीदार के कमेटी के सदस्य के रूप में है एवं उसके हस्ताक्षर हैं। दोनों अपीलों के अपीलाण्ट ने उक्त तथ्यों के विपरीत अन्य कोई ऐसा कथन नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्ताक्षेप किया जाना उचित हो। अतः दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

Lano

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के आदेश दिनांक 15.04.2011 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

lans
23/5/22
(करतार सिंह पूनियाँ आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़